न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–270/2018(जीसीएमएस नं. 2018/00142)

1. रामनिवास पुत्र भौगड़, जाति अहीर, निवासी कायसा, तहसील नीमराना जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. फूलवती पत्नी लालाराम, जाति अहीर, निवासी कायसा, तहसील नीम्राना, जिला अलवर, राजस्थान।

––असल रेस्पोडेन्ट

2. रामप्रताप पुत्र भौगड, जाति अहीर, निवासी कायसा, तहसील नीमराना जिला अलवर, राजस्थान।
3. माया पत्नी धर्मपाल जाति अहीर, निवासी कायसा, तहसील नीमराना जिला अलवर, राजस्थान।
4. विक्रम पुत्र धर्मपाल,
5. संजय पुत्र धर्मपाल जाति अहीर, निवासी कायसा, तहसील नीमराना जिला अलवर, राजस्थान।
6. तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।

––**तरतीबी** रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री विजयसिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हरिप्रसाद जांगिड़ एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः19.06.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को कोई नोटिस जारी नही किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है और ना ही अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को लोक अदालत कम कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र नीमराना में उपस्थित होने की कोई सूचना ही दी गई और असल रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2016 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 की पालना में दिनांक 16.06.2018 को पालना की जा रही है, यानि 2 साल बाद उक्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करवाई जा रही है इससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय की खुलमखुला अवहेलना की जा रही है जैसा तहसीलदार द्वारा जारी पत्रांक 744 दिनांक 06.06.2018 से जाहिर है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 10.07.2014 की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर और असल रेस्पोडेन्ट की इच्छा के अनुसार खसरा नम्बर 893, 894 और 901 की पैमाईश करने के आदेश व पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये जबकि पैमाईश दिनांक 10.07.2014 को करवाई जा चुकी है तो पुनः पैमाईश करवाई जाकर पत्थरगढी करने का कोई औचित्य नही रहा जाता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से भी निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 893, 894 और 901 से लगती हुई अपीलान्ट के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 895 स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 210 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा था लेकिन सेटलमेन्ट सम्वत् 2042 में गत खसरा नम्बर 210 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 895 रकबा 69 एयर बना दिया गया है जो मिलान क्षेत्रफल में लगभग 24 एयर कम दर्ज किया गया जिस बात का नाजायज लाभ उठाकर असल रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाहोशियारी प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2016 प्रस्तुत किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खसरा नम्बर 895 की कोई नपती या जानकारी नही की और मनमाने तारीके पर बिना राजस्व रिकार्ड देखे अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट स्वयं के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि हाल खसरा नम्बर 895/2175, 895/2174 व 985 में असल रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 894 का रकबा मिलाकर कब्जा कर रखा है इससे स्पष्ट है कि मौके पर भी अपीलान्ट का खसरा नम्बर 895 गत खसरा नम्बर 210 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा पर कब्जा है और जब अपीलान्ट का अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी की खरीदशुदा भूमि 3 बीघा 13 बिस्वा पर काबिज है और उसे स्वयं असल रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वीकार करते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में असल रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 893, 894, व 901 वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना के 2/5 भाग की खरीदार खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी की पैमाईश (सीमाज्ञान) दिनांक 10.07.2014 को की गई थी जिस

आयुक्त
जयपुर

पैमाईश के मुताबिक खसरा नम्बर हाल 894 रकबा 0.16 एयर का जो भाग अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 895/2175, 895/2174, 985 के सामने लगता हुआ है उस पर अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट नाजायज कब्जा कर अपने खसरा नम्बर में मिला रखा है तथा रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को पैमाईश दिनांक 10.07.2014 के मुताबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मुताबिके मौके पर पुख्ता पत्थरगढ़ी करने के लिये कहा तो वे पुख्ता पत्थरगढी नही करने देते व ना ही खसरा नम्बर 894 के भाग को छोडते है। दिनांक 15.05.2016 को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थी व तरतीबी को मौके पर हाल नक्शा व पैमाईश के मुताबिक पुख्ता पत्थरगढी करने के लिऐ कहा तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया तब प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के अधिकार कानूनन प्रदत्त है तथा हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी आराजी की पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्यां 1 की आराजी की पत्थरगढी के आदेश पारित किया गया है जिस पर किसी प्रकार के उज्रात करने का अधिकार कानूनन अपीलार्थी को प्रदत्त नही है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भांति ही अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को भी अपनी–अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के अधिकार भू राजस्व अधिनियम व काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 में में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/6/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।